Part–1

A

न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)	
पीठासीन अधिकारी – डॉ. सोनिया पूर्वा, आर.जे.एस फौजदारी नियमित प्रकरण संख्याः– **385/2016** सीआईएस संख्याः– **2304/2016** एफआईआर संख्याः– **333/2016**, पुलिस थानाः– **शहर नीमकाथाना** **सरकार** बनाम **बहादुरमल** सीएनआर नंबरः– **RJSK070020882016**	
अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता, 1860	
परिवादी/ शिकायतकर्ता	बाबूलाल सैनी पुत्र हनुमान प्रसाद सैनी निवासी खादरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	बहादुरमल पुत्र उगरा निवासी खादरा, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)
अधिवक्ता	श्री मुरारीलाल शर्मा, अधिवक्ता वास्ते परिवादी। श्री रामसिंह गुर्जर, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

B

अपराध की तिथि	29.06.2016
एफआईआर की तिथि	19.09.2016
आरोप पत्र पेश करने की तिथि	09.12.2016
आरोप सुनाये जाने की तिथि	14.07.2017
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	27.10.2017
फैसले की तारीख	07.07.2026

C

आरोपीगण विवरण

क्र.सं.	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की तारीख	आरोप	बरी कर दिया गया या दोषी ठहराया गया।	सजा सुनाई गई।	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान हिरासत में लेने की अवधि।
1	बहादुरमल	29.11.2016	06.12.2016	420, 406 भारतीय दंड	संदेह का लाभ	लागू नहीं	लागू नहीं

				संहिता	दिया जाकर दोषमुक्त		

PART–II

अभियोजन/बचाव/अदालत गवाहों की सूची

ए. अभियोजन

क्र.सं.	पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1	पी.डब्ल्यू. 1	बाबूलाल	परिवादी/ताईद एफआईआर/फर्द जब्ती/मूल इकरारनामा/बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
2	पी.डब्ल्यू. 2	मूलचंद	ताईद बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
3	पी.डब्ल्यू. 3	मुकेश	ताईद फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बहादुरमल
4	पी.डब्ल्यू. 4	उदयभानसिंह	अनुसंधान अधिकारी
5	पी.डब्ल्यू. 5	मनोहरलाल	अनुसंधान अधिकारी व किता चार्जशीट
6	पी.डब्ल्यू. 6	जितेंद्र	अनुसंधान अधिकारी

बी. अभियुक्त

क्र.सं.	पद	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–	–

अभियोजन/रक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची।

ए. अभियोजन

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	मूल इस्तगासा
2	प्रदर्श पी 2	असल शपथ–पत्र परिवादी बाबूलाल
3	प्रदर्श पी 3	असल इकरारनामा
4	प्रदर्श पी 4	फर्द पेशकशी मूल इकरारनामा
5	प्रदर्श पी 5	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त बहादुरमल
6	प्रदर्श पी 6	फर्द जब्ती पीकअप जीप नंबर RJ 23 GB 2835
7	प्रदर्श पी 7	चाक एफआईआर

बी. अभियुक्त

क्र.सं	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

– नि र्ण य – **दिनांकः– 07.07.2026**

1– अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक

07.09.2016 को परिवादी बाबूलाल सैनी पुत्र हनुमान प्रसाद सैनी निवासी खादरा पुलिस थाना सदर नीमकाथाना, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक इस्तगासा इस आशय का पेश किया कि परिवादी ने अभियुक्त से एक गाड़ी महिन्द्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 23 GB 2835 को दिनांक 29.06.2016 को क्रय करने का सौदा किया था तथा परिवादी ने अभियुक्त को 3,45,000/–रुपये उसी दिन नकद अदा कर दिये थे, जिस बाबत एक इकरारनामा भी दोनो पक्षों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अभियुक्त ने यह दर्ज करवाया गया था कि वाहन पर किसी प्रकार का कोई ऋण भार बकाया नहीं है तथा इस बाबत एनओसी उक्त दिनांक से 15 दिन में लाकर परिवादी को देने का अभियुक्त ने करार किया था। अभियुक्त ने यह भी बताया था कि फाईनेन्स की कोई राशि बकाया नहीं है। अभियुक्त द्वारा इकरारनामा लिखाते वक्त एनओसी नहीं देने पर परिवादी ने वाहन व वाहन के कागजात अभियुक्त से नही लिये थे एवं अभियुक्त को सम्पूर्ण विक्रय राशि अदा कर दी थी। अभियुक्त द्वारा परिवादी को आज तक न तो वाहन दिया गया और न ही परिवादी के रुपये वापस लौटाये गये। अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर कपटपूर्वक परिवादी के 3,45,000/–रुपये हड़प लिये परिवादी को कोई वाहन भी नहीं दिया तथा वाहन पर फाईनेन्स के भी 1,50,000/–रुपये बकाया है। जबकि अभियुक्त ने वाहन पर फाईनेन्स की कोई राशि बकाया नहीं होना बताई थी। इस प्रकार अभियुक्त ने परिवादी को मुगालते में रखा तथा परिवादी के कपटपूर्वक रुपये हड़प लिये तथा उनका दुर्विनियोग कर रहा है। अभियुक्त का कृत्य धारा 420, 406, भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है........आदि–आदि।

2– न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे दं.प्र.सं. से संबोधित किया जायेगा) के अंतर्गत वास्ते अनुसंधान, थानाधिकारी पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली को प्रेषित करने पर परिवाद के आधार पर संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली द्वारा एफआईआर संख्या 333/2016 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे भा.द.सं. से संबोधित किया गया है) में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त बहादुरमल पुत्र उगरा के विरुद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. के अपराधों का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 420, 406 भा.दं.सं. का मामला प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्त बहादुरमल पुत्र उगरा के विरुद्ध धारा 420, 406 भा.दं.सं. के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया।

3– अभियुक्त बहादुरमल को धारा 420, 406 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने सुन–समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4– साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से PART–II के भाग ए में वर्णितानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाई गई। तत्पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, तो उसने अपने विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करने से इंकार कर, कथन किया कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फसाया गया है।

5– उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। बहस अंतिम के द्वौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किया जावे

6– वहीं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस अंतिम तर्क दिया है कि प्रकरण में प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी स्वयं सहित अन्य समस्त मुख्य गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। ऐसे में, गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। गवाहान की साक्ष्य अभियोजन कहानी को संदेहास्पद बनाती है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैः–

1– "क्या अभियुक्त बहादुरमल द्वारा दिनांक 29.06.2016 को किसी समय मौजा नीमकाथाना में परिवादी बाबूलाल सैनी को प्रवंचित करते हुए गाड़ी महिंद्रा बोलेरो पिकअप नंबर RJ 23 GB 2835 विक्रय करने का इकरारनामा कर विक्रय राशि 3,45,000/–रुपये नकद प्राप्त करने के पश्चात परिवादी को उक्त गाड़ी सुपुर्द नहीं की एवं 3,45,000/–रुपये हड़पकर उसके साथ छल कारित किया एवं उक्त वाहन की विक्रय राशि 3,45,000/– रुपये को बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग किया?

2– यदि हां तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा? ''

8– उभय पक्ष की बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से मुख्य रूप से 6 गवाहान को

परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 7 दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं।

9– पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया जावे, तो परिवादी पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में बयानों में मई, 2016 में 3,45,000/–रुपये दिया जाना, बहादुरमल से पीकअप खरीदी जानी, 500/–रुपये के स्टाम्प पर नीमकाथाना कोर्ट में लिखा–पढ़ी की जाना, लिख–पढ़ी के वक्त बहादुरमल को 3,45,000/–रुपये दिया जाना, लिखा–पढ़ी होने के बाद भी गाड़ी बहादुरमल के पास ही रहना, गाड़ी लिखा–पढ़ी व पैसे देने के बाद एक बार भी उसके कब्जे में नहीं आना, बहादुरमल द्वारा ना पैसे देना ना ही गाड़ी देना बताया गया है व इस्तगासा प्रदर्श पी. 1, शपथ–पत्र प्रदर्श पी. 2, मूल इकरारनामा प्रदर्श पी. 3 एवं फर्द पेशकशी मूल इकरारनामा प्रदर्श पी. 4 को प्रदर्शित करवाया है।

10– फर्द पेशकशी प्रदर्श पी. 4 का अवलोकन करें, तो यह प्रकट होता है कि अनुसंधान अधिकारी की ओर से गवाह बाबूलाल व राजेंद्र सिंह कानि. 481 पुलिस थाना नीमकाथाना के समक्ष मुस्तगीस बाबूलाल से एक इकरारनामा दिनांकित 29.06.2016 बोलेरो पिकअप नंबर RJ 23 GB 2835, इंजन नंबर GA71J27991 व चेसिस नंबर 71J45887 मॉडल 2007 के विक्रय के संबंध में 500/–रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया है, जो कि आरके मोदी एडवोकेट नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया है, को जब्त किया गया है। उक्त फर्द जब्ती मूल इकरारनामा के संबंध में अनुसंधान अधिकारी गवाह पी .डब्ल्यू. 5 मनोहरलाल द्वारा अपने सशपथ बयानों में मूल इकरारनामा परिवादी बाबूलाल सैनी द्वारा उसके समक्ष अनुसंधान के दौरान पेश किया जाना और उसके द्वारा जरिये फर्द प्रदर्श पी. 4 जब्त किये जाने का कथन किया है व उक्त फर्द पर अपने हस्ताक्षर साबित किये हैं। अभियोजन की ओर से गवाह राजेंद्र सिंह कानि. को परीक्षित नहीं करवाया गया है व परिवादी गवाह बाबूलाल द्वारा अपने समक्ष परीक्षण के बयानों में उक्त फर्द प्रदर्श पी . 4 पर अपने हस्ताक्षर साबित किये हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि परिवादी गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण इकरारनामा राजेंद्र सिंह को सुपुर्द किया जाना बताया है। जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 5 मनोहरलाल ने उक्त इकरारनामा उसके द्वारा जब्त किये जाने का कथन किया है। अतः अभियोजन बयानों में विरोधाभास है। उक्त के संबंध में गौर करें तो गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण उसके मुकदमे में जांच राजेंद्र सिंह द्वारा करना व इकरारनामा राजेंद्र सिंह को ही सुपुर्द किया जाने का कथन किया है। जबकि गवाह पी.डब्ल्यू. 5 अनुसंधान अधिकारी मनोहरलाल ने उक्त इकरारनामा

उसके द्वारा जब्त किये जाने का कथन किया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 4 का अवलोकन करें, तो प्रकट होता है कि फर्द जब्ती इकरारनामा प्रदर्श पी. 4 राजेंद्र सिंह कानि. के समक्ष मुर्तिब किया गया था। इस प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण इकरारनामा राजेंद्र सिंह को सुपुर्द किया जाने के कथन समयकाल के अंतराल से आया विरोधाभास मात्र प्रतीत होता हैं। अतः उक्त विरोधाभास तात्विक नहीं है। इस प्रकार फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 4 एक साबित दस्तावेज है, जिससे यह प्रकट होता है कि परिवादी बाबूलाल के मूल इकरारनामा, जो कि बोलेरो पिकअप गाड़ी नंबर RJ 23 GB 2835, इंजन नंबर GA71J27991 व चेसिस नंबर 71J45887 मॉडल 2007 के विक्रय के संबंध था, को अनुसंधान अधिकारी मनोहरलाल द्वारा जब्त किया गया था।

11– इकरारनामा प्रदर्श पी. 3 का अवलोकन करें, तो उक्त इकरारनामा दिनांकित 29.06.2016 को 500/–रुपये के स्टाम्प पर गवाहान कमलेश कुमार सैनी व मूलचंद सैनी के समक्ष निष्पादित किया गया है, जिसके अनुसार विक्रेता बहादुरमल की ओर उसका एक वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 23 GB 2835, इंजन नंबर GA71J27991 व चेसिस नंबर 71J45887 मॉडल 2007 को 3,45,000/–रुपये में क्रेता बाबूलाल सैनी को विक्रय करने का करार किया गया है। उक्त विक्रय पत्र में वाहन के कागजात क्रेता को अदा कर दिये जाने, वाहन का कब्जा क्रेता को करवा दिया जाने, वाहन का अनापत्ति प्रकरण–पत्र 15 दिवस में क्रेता को अदा कर दिये जाने इत्यादि शर्ते भी वर्णित है। उक्त इकरारनामा पर क्रेता बाबूलाल सैनी के हस्ताक्षर व विक्रेता बहादुरमल की अंगूठा निशानी एवं गवाहान मूलचंद सैनी व कमलेश कुमार सैनी के हस्ताक्षर अंकित हैं। अभियोजन की ओर से उक्त इकरारनामा के गवाह कमलेश कुमार सैनी को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाया गया है व क्रेता बाबूलाल सैनी बतौर गवाह पी.डब्ल्यू. 1 व अनुप्रमाणन साक्षी मूलचंद सैनी बतौर गवाह पी.डब्ल्यू. 2 साक्ष्य में परीक्षित हुए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल द्वारा मुख्य परीक्षण में इकरारनामा प्रदर्श पी. 3 पर अपने हस्ताक्षर होना ए से बी साबित किया गया है एवं यह कथन किया गया है कि लिखा–पढ़ी होने के बाद गाड़ी बहादुरमल के पास रही थी। गाड़ी लिखा–पढ़ी व पैसा देने के बाद एक बार भी उसके कब्जे में नहीं आयी। इस प्रकार यह गवाह इकरारनामा में लेखबद्ध की गई शर्तो से विपरीत वाहन का कब्जा वरवक्त निष्पादन इकरारनामा लेने से इन्कारी करता है।

12– इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 2 मूलचंद सैनी के बयानों का अवलोकन करें, तो उक्त गवाह परिवादी बाबूलाल का सगा भाई है। इसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में बाबूलाल द्वारा बहादुर से 2016 में 3,45,000/–रुपये में महिंद्रा पिकअप खरीदी जाने, जिसकी लिखा–

पढ़ी 500/–रुपये के स्टाम्प पर होना व पैसों का लेन–देन कोर्ट में वकील के सामने होना, पिकअप उसी दिन बाबूलाल के कब्जे में दिलवाया जाना, फिर कहा जाना कब्जा नहीं दिलवाया है, का कथन किया है। उक्त गवाह ने इकरारनामा प्रदर्श पी. 3 पर अपने हस्ताक्षर भी होना साबित किया है। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने यह कथन किया है कि जो पैसे 3,45,000/–रुपये प्रदर्श पी. 3 में लिखे हैं, वो जमीन वाले 16,00,000/–रुपये में सही हैं। प्रदर्श पी. 3 में जमीन वाले ही लिखे हैं। यह जमीन बहादुरमल ने राजपूतों के विक्रम आदि से खरीदी थी। उक्त जमीन बहादुरमल ने जयसिंह को बेची थी। विक्रय पेटे जयसिंह से 16,00,000/–रुपये प्राप्त किये थे। उन 16,00,000/–रुपयों में जो उनका हिस्सा था, वो स्टाम्प पर लिखवाया था। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया है कि प्रदर्श पी. 1 में जो रुपये लिखे हैं, वो उस जमलीन के ही थे। उस दिन कोई लेन–देन नहीं हुआ। गवाह ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि गाड़ी का कोई विवाद नहीं था। उस 16,00,000/–रुपये का ही विवाद है।

13– इस प्रकार यह गवाह मुख्य परीक्षण में बाबूलाल द्वारा बहादुर से 3,45,000/–रुपये की एवज में पिकअप क्रय किया जाना और उस पर लिखा–पढ़ी होने का कथन करता है किंतु दौराने प्रतिपरीक्षण अभियुक्त बहादुरमल द्वारा विक्रय की गई जमीन की प्रतिफल राशि 16,00,000/–रुपये में से उनका भी हिस्सा होना व उसका विवाद होना व गाड़ी का कोई विवाद नहीं होना एवं उनके हिस्से जमीन विक्रय की प्रतिफल राशि में से उनके हिस्से की एवज में प्रदर्श पी. 1 लिखा जाने का कथन करता है। इस प्रकार उक्त गवाह के बयानो से यह प्रकट होता है कि परिवादी बाबूलाल द्वारा वरवक्त निष्पादन इकरारनामा अभियुक्त बहादुरमल को 3,45,000/–रुपये अदा नहीं किये गये थे।

14– इस संबंध में गवाह पी.डब्ल्यू. 1 बाबूलाल के बयानों का भी अवलोकन करें, तो उक्त गवाह ने दौराने प्रतिपरीक्षण इस सुझाव को सही बताया है कि उनका व बहादुरमल का जमीन का विवाद था। राजपूतों से जो जमीन ली थी, उसकी रजिस्ट्री बहादुरमल के नाम करवाई थी। अप्रेल–मई, 2016 में जयसिंह को बेच दी थी। उस जमीन के 16,00,000/–रुपये बहादुरमल के पास आये थे, उस पैसे में वह भी अपना हिस्सा लेना चाहते थे, जो बहादुरमल ने उन्हें नहीं दिये थे। गवाह आगे इस सुझाव को गलत बताता है कि बहादुरमल से रुपये लेने के लिए फर्जी इकरारनामा प्रदर्श पी. 3 बहादुरमल को झांसा देकर पेंशन के कागज बताकर करवाये हों। इस प्रकार यह गवाह बहादुरमल व उसके मध्य जमीन के विक्रय की प्रतिफल राशि के संबंध में विवाद को होना स्वीकार करता है व इकरारनामा के अनुप्रमाणन साक्षी गवाह पी.डब्ल्यू. 2 मूलचंद, जो कि परिवादी का सगा भाई है, के द्वारा इकरारनामा

प्रदर्श पी. 3 उक्त रुपयों के संबंध में ही लिखवाया जाना स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू. 1 ने दौराने प्रतिपरीक्षण यह भी कथन किया है कि गाड़ी प्राप्त करने के लिए उसे कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। वे गाड़ी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कोर्ट में नहीं आये थे। अतः पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से परिवादी बाबूलाल द्वारा वरवक्त निष्पादन इकरारनामा अभियुक्त बहादुरमल को 3,45,000/–रुपये दिया जाना साबित नहीं होता है व उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि जमीन विक्रय की राशि में हिस्सा राशि प्राप्त करने की एवज में उक्त दस्तावेज लेखबद्ध किया गया था। अतः अभियुक्त बहादुरमल द्वारा परिवादी बाबूलाल सैनी को प्रवंचना कारित करते हुए विक्रय राशि 3,45,000/–रुपये नकद प्राप्त करना साबित नही होता हैं।

15– इस प्रकार परिवादी व अन्य मुख्य गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास के चलते अभियोजन कहानी प्रारंभ से ही संदेहास्पद हो जाती है। पत्रावली व मुख्य गवाहान की साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य केवल पैसों के लेने–देन का विवाद है। अतः न्यायालय के समक्ष अन्य गवाहान की साक्ष्य पढ़े जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

16– अतः न्यायालय के मतानुसार अभियोजन द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त बहादुरमल द्वारा दिनांक 29.06.2016 को किसी समय मौजा नीमकाथाना में परिवादी बाबूलाल सैनी को प्रवंचित करते हुए गाड़ी महिंद्रा बोलेरो पिकअप नंबर RJ 23 GB 2835 विक्रय करने का इकरारनामा कर विक्रय राशि 3,45,000/–रुपये नकद प्राप्त करने के पश्चात परिवादी को उक्त गाड़ी सुपुर्द नहीं की एवं 3,45,000/–रुपये हड़पकर उसके साथ छल कारित किया एवं उक्त वाहन की विक्रय राशि 3,45,000/–रुपये को बेईमानीपूर्वक अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर आपराधिक न्यासभंग किया।

<u>आदेश</u>

17– अतः अभियुक्त बहादुरमल पुत्र उगरा निवासी खादरा, तहसील नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 420, 406 भा.दं.सं. में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18– अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश किये गये जमानत –मुचलकों की अवधि धारा 437ए दं.प्र.सं. के प्रयोजन से विस्तारित की जाती है। प्रकरण में फर्द जब्ती पीकअप जीप नंबर RJ 23 GB 2835 के अनुसार वाहन पीकअप जीप नंबर RJ 23 GB

2835 अभियुक्त बहादुरमल को पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो कि अभियुक्त बहादुरमल के पास ही रहे।

(डॉ. सोनिया पूर्वा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम–1, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

19– निर्णय आज दिनांक 07.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. सोनिया पूर्वा)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
क्रम–1, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)

PREM CHAND MAHAWAR
Stenographer Gr. III "Authenticate Document"
Digitally signed by PREM CHAND MAHAWAR
Date: 2026.07.07 16:31:31 +0530